कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर. फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com **Phone/Fax: 0135 2767611**

संख्याः– 2840 / FP/UK/ROAD/37890/2018 देहरादूनः दिनांकः 7- मई, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत शहरफाटक से ग्राम दो घोडिया तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.442 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– भारत सरकार का पत्र संख्या 8बी0/यू0सी0पी0/06/33/2022/एफ0सी0/987 दिनांक 12. 10.2022

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 12.10.2022 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, दक्षिणी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्रांक 1587/12–1 दिनांक 09.05.2023 द्वारा बिन्दुवार आख्या प्रेषित की गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण	
1	इस कार्यालय में समसंख्यक पत्र दिनांक 30.05.2022 में उल्लेख बिन्दु सं0 1 के प्रतिउत्तर में राज्य सरकार द्वारा यह अवगत कराया गया है कि यदि गांव Dau को Kutchha रोड़ के माध्यम से और Lohaghat Dvidhura & Almora से जोड़ा जाता है, तो दूरी 30 कि0मी0 होगी, जोकि उचित नहीं है। इस संरेखण में यह दूरी 10 कि0मी0 होगी तथा उपरोक्त संरेखण द्वारा वृक्षों के पातन एवं वन भूमि की आवश्यकता को भी कम किया जा सकता है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि प्रस्तावित संरेखण तथा उपरोक्त संरेखण का उचित तुलनात्मक विश्लेषण कर कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	1– प्रस्तावित संरेखण से मुख्यालय पहुंचने हेतु दूरी 5 कि0मी0 कम होगी। 2– 7 मी0 चौड़ाई में कुल 645 वृक्षों का पातन किया जाना है। 3– मार्ग की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार मार्ग का प्रारम्भिक संरेखण का बिन्दु शहरफाटक है। 4– यह मार्ग बनाये जाने में जनप्रतिनिधियों/ग्रामवासियों की अनापत्ति है।	1– वैकल्पिक लोहाघाट देवीधुरा पहुंचने हेतु दूरी 5 कि0मी0 अधिक की दूरी तय करनी होगी। 2– वृक्षों का पातन कम होगा। 3– वैकल्पिक मार्ग जनपद नैनीताल के अन्तर्गत आता है। 4– यह मार्ग बनाये जाने में जनप्रतिनिधियों/ग्रामवासियों की आपत्ति है।
2	बिन्दु संख्या 03 के प्रतिउत्तर में ग्राम Damar अभी तक के0एम0एल0 पर अंकित	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि संशोधित के0एम0एल0 फाईल ऑनलाईन पार्ट । के बिन्दु संख्या सी0 में अपलोड कर	

	नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि ग्राम Damar को के0एम0एल0 फाईल पर अंकित करने का कष्ट करें।	दी गयी है।
3.	राज्य सरकार से अनुरोध है कि मार्ग की चौड़ाई को 7 मी0 तक सीमित कर संशोधित enumeration list of trees इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि 7 मी0 चौड़ाई में वृक्षों की गणना ली गयी है। गणना सूची पार्ट 1 के अतिरिक्त सूचना में अपलोड़ कर दिया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या 2840 / FP/UK/ROAD/37890/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्रांक 1587/12–1 दिनांक 09.05.2023 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल।

07/6/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।